जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 04.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत थाना बखिरा पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री राघवेन्द्र सिंह राठौर*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत वरिष्ठ उ0नि0 श्री शैलेन्द्र सिंह,उ0नि0 धर्मेन्द्र यादव,हे0 का0 संतोष गुप्ता,हे0का0 अनिल यादव,का0 अखिलेश नायक आदि अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा अर्धसैनिक बल के साथ थाना बखिरा अन्तर्गत कस्बा बखिरा,छडना,भगवानपुर,जीवधरा,बभनी,बंजरिया,भैसमथान, परसामाफी आदि जगहों पर फ्लैग मार्च / एरिया डोमिनेशन की कार्यवाही की गयी। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद-संतकबीरनगर   प्रेस विज्ञप्ति   दिनांक 04.04.2024

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर द्वारा कार्यालय पुलिस अधीक्षक स्थित प्रधान लिपिक शाखा का वार्षिक निरीक्षण किया गया, दिये गये आवश्यक दिशा निर्देश

आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा कार्यालय में स्थित प्रधान लिपिक शाखा के निरीक्षण के दौरान उनके अभिलेखों का वार्षिक निरीक्षण किया गया। प्रधान लिपिक शाखा में रखी पत्रावलियों व अभिलेखों का गहनता से निरीक्षण किया गया साथ ही अभिलेखों के रखरखाव, साफ-सफाई हेतु सम्बन्धित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

नागालैंड सशस्त्र पुलिस के साथ थाना क्षेत्र महुली के बस्ती बॉर्डर, कुशहवा बाजार, महुली बाजार ,नाथ नगर ,मुखलिसपुर ,काली जगदीशपुर, मोलनापुर, मैंनसिर, आदि बाजारों में तथा क्रिटिकल व वनरेवल मतदान केदो पर एरिया डोमिनेशन किया गया जिसमें थाना हाजा की पुलिस तथा चौकी प्रभारी व आरक्षी शामिल रहे।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 04.04.2024

आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के दृष्टिगत थाना महुली पुलिस द्वारा अर्धसैनिक बलों के साथ किया गया एरिया डोमिनेशन / फ्लैग मार्च

आज दिनांक 04.04.2024 को पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में आगामी लोकसभा चुनाव को भयमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में सकुशल संपन्न कराने के दृष्टिगत प्रभारी निरीक्षक थाना महुली ***श्री सतीश कुमार सिंह*** द्वारा उ0नि0 श्री संजय सिंह, उ0नि0 श्री हरिकेश भारती आदि अधिकारी/कर्मचारीगण द्वारा नागालैण्ड सशस्त्र पुलिस बल के साथ थाना महुली अन्तर्गत बस्ती बॉर्डर, कुशहवा बाजार, महुली बाजार, नाथनगर, मुखलिसपुर, काली जगदीशपुर, मोलनापुर, मैंनसिर आदि बाजारों तथा क्रिटिकल व वल्नरेबल मतदान केन्द्रों पर एरिया डोमिनेशन किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया गया व लोगों से भयमुक्त होकर मतदान की अपील की गई साथ ही चुनाव में गड़बड़ी पैदा करने वाले व शांति व्यवस्था खराब करने वाले अराजक तत्वों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी गयी।

जनपद – संतकबीरनगर*   *प्रेस विज्ञप्ति*   *दिनाँक 04.04.2024

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम **में *थाना महुली पुलिस द्वारा*** वारण्टी नाम पता रोहित जैकी पुत्र रामवृक्ष निवासी कर्री थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री पवन शुक्ला, हे0का0 पंकज यादव।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 22 अभियुक्त गिरफ्तार

- ***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 05 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना दुधारा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना धनघटा पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 07 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 04 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।
- ***थाना महुली पुलिस द्वारा*** 151 / 107 / 116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1492 द्वारा दो पक्षों के विवाद में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल– पीआरवी 1492 को थाना धनघटा क्षेत्रांतर्गत धनघटा से इवेन्ट संख्या 09517 से कालर द्वारा दो पक्षों में किसी बात को लेकर विवाद की सूचना पर 01 व्यक्ति (पवन कुमार पुत्र बाबूराम निवासी सेवईपार थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के संबंध में सूचना दिया गया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को एंबुलेंश की सहायता से अस्पताल भेजवाया गया साथ ही घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटना स्थल पर समय से पहुंचकर घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजवाकर उसकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

***पीआरवी स्टाफ-* उ0नि0 श्री अखिलेश सिंह, आ0 देवेन्द्र कुमार, हो0चा0 रामवीर चौधरी।**

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 168 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 04.04.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 168 वाहनों से 1,93,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 04.04.2024

मिशन शक्ति अभियान 4.0 के तहत थाना धनघटा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले मे वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

मा0 मुख्यमन्त्री उ0प्र0 सरकार द्वारा *महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा एवं स्वावलंबन हेतु चलाए जा रहे **मिशन शक्ति के विशेष अभियान (फेज-04)*** के तहत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनघटा ***श्री अजय सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में ***थाना धनघटा पुलिस* द्वारा** मु0अ0स0 196/2024 धारा 363/376 (डी) भा0द0वि0 व 5G/6 पाक्सो एक्ट के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता अंगद पुत्र फेकू निवासी ग्राम चपरा पूर्वी खालेपुरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को उमरिया चौराहे से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्त द्वारा वादिनी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया था तथा उसके साथ दुष्कर्म की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध मे वादिनी द्वारा थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना धनघटा पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए उक्त आरोपी अभियुक्त को अविलंब गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त का नाम व पत्ताः-

1. अंगद पुत्र फेकू निवासी ग्राम चपरा पूर्वी खालेपुरवा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- प्रभारी निरीक्षक थाना धनघटा श्री अनिल कुमार, का0 महेन्द्र निषाद, का0 विशाल सिंह।

जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 04.04.2024

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मार-पीट के मामलें में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की अभिरक्षा व 1000-1000 रु0(कुल 3000रु0) के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के द्वारा अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप आज दिनांक 04.04.2024 को ***न्यायालय –सी0जे0(जे0डी0)/ एफटीसी-01, जनपद सन्तकबीरनगर*** द्वारा ***थाना दुधारा *** पर पंजीकृत एन0सी0आर0 221/2020 धारा 323 भा0द0वि0 के मामलें में 03 अभियुक्तों नाम पता 1.सिताबी देवी पत्नी जगदीश 2.कु0संध्या पुत्री जगदीश 3.कु0 चाँदनी पुत्री जगदीश निवासी बलईपुर थाना दुधरा जनपद संतकबीरनगर को अन्तर्गत धारा 323 भा0द0वि0 के अपराध के लिए 1000-1000 रूपये(कुल 3000रु0) के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 02-02 दिवस के अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।

जनपद – संतकबीरनगर *प्रेस विज्ञप्ति* *दिनाँक 04.04.2024*

"ऑपरेशन कनविक्शन" व "ऑपरेशन शिकंजा" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामलें मे 02 अभियुक्तों को 06-06 माह की परिवीक्षा पर छोड़ा गया

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में अपराधों पर कठोरता से नियंत्रण लगाने एवं अभियुक्तों को अधिकाधिक दंडित कराने हेतु सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर अभियोगों को चिन्हित कराते हुए मानीटरिंग सेल को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये हैं।

उक्त निर्देश के क्रम में ***संयुक्त निदेशक अभियोजन व मानीटरिंग सेल*** के संयुक्त प्रयास के फलस्वरुप दिनांक 04.04.2024 को ***मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश संतकबीरनगर*** द्वारा द्वारा ***थाना कोतवाली खलीलाबाद*** पर पंजीकृत मु0अ0सं0 471/2014 धारा 323/34,325/34, 504, 506 भादवि व 3(1)(X) एससी/ एसटी के मामलें में अभियुक्तगण 1. शैदापुत्र नूर मोहम्मद 2. फिदा हुसैन पुत्र नूर मोहम्मद निवासीगण दरुआ जप्ती थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को धारा 323/34,325/34, 504 भादवि के अपराध के लिए दोषसिद्ध पाये जाने पर उनको अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 4 के अन्तर्गत 06 माह के सदाचार की परिवीक्षा पर मुक्त किये जाने का आदेश पारित किया गया।